


फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली-बहरोड  
आईआईएफएल होम फाईनेन्स लिमिटेड बनाम भोमाराम सैनी व अन्य  
प्रकरण संख्या 37/2024 (प्रा0पत्र धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	09.10.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।</p> <p>प्रार्थी वित्तीय संस्था की आरे से प्रस्तुत सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002 की धारा 14 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखवा जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"> जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड</p>	

# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली बहरोड़

पीठासीन अधिकारी कल्पना अग्रवाल आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 27/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

आईआईएफएल होम फाईनेन्स लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय:- आईआईएफएल हाउस, सन इन्फोटेक पार्क, रोड न0 16 वीं, प्लॉट न0 बी-23 थाणे इण्डस्ट्रीयल एरिया, वागले एस्टेट, थाने-400 604, मुम्बई, महाराष्ट्र एवं क्षेत्रीय कार्यालय-4th फ्लोर, विनायक हाईट्स, गौतम मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर राजस्थान 302021 अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री राजेन्द्र पाराशर।

.....प्रार्थी कम्पनी/सिक्योरिटाईजेशन

## बनाम

1. भोमाराम सैनी पुत्र नत्थूराम सैनी निवासी ग्राम प्रेमनगर ढाणी बड की मन्दा, पावटा तहसील पावटा जिला कोटपूतली बहरोड़ अन्य पता आवासीय प्लॉट खसरा नम्बर 567 में से ग्राम आदर्शनगर पटवार हल्का मन्दा, तहसील पावटा जिला कोटपूतली बहरोड़, राजस्थान। (ऋणी)
2. नत्थूराम सैनी पुत्र भरथा राम सैनी निवासी ग्राम प्रेमनगर ढाणी बड की मन्दा, पावटा तहसील पावटा जिला कोटपूतली बहरोड़ अन्य पता आवासीय प्लॉट खसरा नम्बर 567 में से ग्राम आदर्शनगर पटवार हल्का मन्दा, तहसील पावटा जिला कोटपूतली बहरोड़, राजस्थान। (सहऋणी)
3. श्रीमती ममता सैनी पत्नी भोमाराम सैनी निवासी ग्राम प्रेमनगर ढाणी बड की मन्दा, पावटा तहसील पावटा जिला कोटपूतली बहरोड़ अन्य पता आवासीय प्लॉट खसरा नम्बर 567 में से ग्राम आदर्शनगर पटवार हल्का मन्दा, तहसील पावटा जिला कोटपूतली बहरोड़, राजस्थान। (सहऋणी)

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा -14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेंसियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट ऐक्ट - 2002, जिसे एतद पश्चात एक्ट से संबोधित किया गया है, बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थित:-कुलदीप शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

## आदेश

दिनांक 09.10.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी कम्पनी एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान हैं, जो रिजर्व कम्पनी ऑफ इण्डिया एवं नेशनल हाउसिंग बोर्ड के नियमों के अन्तर्गत सरफैसी अधिनियम 2002 के अन्तर्गत कार्यवाहियों करने के लिए अधिकृत हैं। जिसे उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के रूप में प्रस्तुत एवं उद्बोधित किया गया है। प्रार्थी कम्पनी की तरफ से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री राजेन्द्र पाराशर को न्यायालय एवं अर्द्ध-न्यायालय, सरकारी एवं गैर सरकारी में समस्त विधिक कार्यवाहियों करने के लिए जरिये बोर्ड प्रस्ताव से अधिकृत किया गया है। प्रार्थी कम्पनी से अप्रार्थी/ऋणी ने लोन फैसेलिटी से खाता संख्या IL10439229 में 6,38,086/- रुपये (अक्षरे छः लाख अड़तालीस हजार छियासी रुपये मात्र) में लोन के बाबत प्राप्त किए तथा अप्रार्थी/ऋणी ने उक्त ऋण सुविधा के एवज में बंधक विलेख को निष्पादित कर अचल सम्पत्ति आवासीय प्लॉट खसरा नम्बर 567 में से ग्राम आदर्शनगर पटवार हल्का मन्दा, भूमि एरिया 4440 वर्गफीट बिल्डअप एरिया 737 वर्गफीट, कारपेट एरिया 626 वर्गफीट तहसील पावटा जिला कोटपूतली बहरोड़ राजस्थान में स्थित है, को प्रार्थी कम्पनी के हक में बंधक किया था। अप्रार्थी/ऋणी ने उपलब्ध ऋण को प्रार्थी कम्पनी को नियमानुसार नहीं चुकाया, जिसकी वजह से प्रार्थी कम्पनी ने उक्त लोन खाते को दिनांक 05.05.2024 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया व अप्रार्थी/ऋणी के उक्त वर्णित लोन खाता संख्या IL10439229 में 7,09,673/- रुपये (अक्षरे सात लाख नौ हजार छः सौ तिहेत्तर रुपये मात्र) दिनांक 10.06.2024 तक ब्याज राशि शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे पृथक से बकाया निकलते हैं। अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को नियमानुसार ऋण भुगतान ना करने पर कम्पनी के द्वारा नियमानुसार दिनांक 05.05.2024 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) वर्गीकृत कर दिया गया था। उक्त ऋण खाता को एन.पी.ए. घोषित होने के कारण एक्ट की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रार्थी कम्पनी ने ऋणी/अप्रार्थी एवं सहऋणी को दिनांक 10.06.2024 एवं रजि0 दिनांक 11.06.2024 के रजिस्टर्ड नोटिस भिजवाये गये, अप्रार्थीगण को प्रेषित नोटिस प्राप्त हो गया उक्त नोटिस की जानकारी अप्रार्थीगण को उनके ज्ञात पते पर हो चुकी थी। परन्तु अप्रार्थीगण ने नोटिस की मियाद निकलने के पश्चात भी आज प्रार्थना पत्र दायरी तक अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई। तत्पश्चात प्रार्थी कम्पनी ने दो स्थानीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस नेटवर्क (अंग्रेजी) एवं दैनिक कंचन केसरी (हिन्दी) संस्करण में 13 (2) सरफैसी अधिनियम 2002 के नोटिस का प्रकाशन दिनांक 09.09.2024 को करवाया एवं इंडियन एक्सप्रेस अंग्रेजी के अखबार में एवं दैनिक कंचन केसरी हिन्दी संस्करण 13 (4) सरफैसी अधिनियम 2002 के नोटिस का प्रकाशन दिनांक



जिला कलक्टर  
कोटपूतली-बहरोड़

- 04.09.2024 को पजेशन नोटिस दिया गया जो कि अप्रार्थीगण को उक्त प्रकाशन से प्राप्त हो जाने पर भी अप्रार्थीगण ने नोटिस की मियाद निकलने के पश्चात भी आज प्रार्थना पत्र दायरी तक अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई एवं ना ही बन्धकशुदा सम्पत्ति का सम्पूर्ण वास्तविक कब्जा प्रार्थी कम्पनी को दिया गया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी कम्पनी को सम्पूर्ण बकाया राशि या सम्पत्ति कब्जा प्रदान नहीं किया गया, जिस पर बन्धक सम्पत्ति का वास्तविक एवं भौतिक कब्जा प्राप्त करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी कम्पनी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर-अन्दर ऋण राशि लोन खाता संख्या IL10439229 में 7,09,673/- रुपये (अक्षरे सात लाख नौ हजार छः सौ तिहेत्तर रुपये मात्र) दिनांक 10.06.2024 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्ये खर्चे पृथक से जमा कराना है, परन्तु ऋणी एवं सहऋणी ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कब्जे व नीलामी की कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रतिभूत आस्ति को अपने कब्जे या नियन्त्रण में लेकर प्रतिभूति लेनदार (कम्पनी) को सुपुर्द करने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा उक्त एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/सह-ऋणी से प्रार्थी कम्पनी को दिलाने के आदेश फरमाने की कुपा करे।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
  3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्थान ने अप्रार्थीगणों को लोन खाता संख्या IL10439229 में 6,38,086/- रुपये (अक्षरे छः लाख अडतालीस हजार छियासी रुपये मात्र) को स्वीकृत कर ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज 7,09,673/- रुपये (अक्षरे सात लाख नौ हजार छः सौ तिहेत्तर रुपये मात्र) जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 10.06.2024 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति को कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
  4. अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थीगण भोमाराम सैनी पुत्र नत्थूराम सैनी (ऋणी), नत्थूराम सैनी पुत्र भरथा राम सैनी (सहऋणी), श्रीमती ममता सैनी पत्नी भोमाराम सैनी (सहऋणी) निवासी अचल सम्पत्ति आवासीय प्लॉट खसरा नम्बर 567 में से ग्राम आदर्शनगर पटवार हल्का मन्डा, भूमि एरिया 4440 वर्गफीट बिल्डअप एरिया 737 वर्गफीट, कारपेट एरिया 626 वर्गफीट तहसील पावटा जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
  5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस अधीक्षक कोटपूतली-बहरोड को भेज कर लिखा जावे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें।
  6. आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
  7. आदेश आज दिनांक 09.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



जिला कलक्टर  
जिला मजिस्ट्रेट  
कोटपूतली-बहरोड  
कोटपूतली-बहरोड